



29

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष म. प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी - 3885/2018/भोपाल/अनावेदक

प्र. क्रं. / 18

आलोक कुमार गुप्ता आत्मज श्री एस. डी. गुप्ता
निवासी म0नं0 ई - 3/279 अरेरा कालोनी
जिला भोपाल

आवेदक

विरुद्ध

मेसर्स अग्रवाल इन्फ्रा द्वारा
संजीव अग्रवाल आ0 श्री एस. के. अग्रवाल
निवासी म. नं. 250 सागर प्लाजा जोन 2
एम. पी. नगर जिला भोपाल

अनावेदक

1945
प्रिमापस
लोकेवा
मालकर
राज भोपाल
केस्य मे प्रस्तुत



24/5/18

निगरानी आवेदन पत्र अतर्गत धारा 50 म.प्र. भु. रा. स. 1959

अनावेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टी. टी. नगर वृत, जिला भोपाल ने प्रकरण क्रमांक 10/अपील/16-17 में पारित आदेश दिनांक 11/01/2018 मे अनावेदक द्वारा अपील धारा 44 (2) प्रस्तुत की थी जिसमे मा. अधिनस्त न्यायालय द्वारा क्रमांक 141/अपील/17-18 दिनांक 23/04/2018 के द्वारा मा. तहसील एवं मा. अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर पुनहा अपनी अपनी भूमि के सिमांकन करनो के आदेश दिये है। जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत कि जा रही है।

(Handwritten signature)

आलोक कुमार | मे: अग्रवाल इ-41

मिमा 7

मिसन 3885/2018 | गोपाल | इ-41

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिवक्तियों आदि के हस्ताक्षर
23-7-19	<p>आवेदन माफि लोडिंग ब्राकर उपरोक्त माफि समोस पारेली उपरो आवेदन पूर्ण / प्रकरण संतुष्ट तर्क है। दि- 27-8-19 आसा म के अग्रवाल</p>	<p>27/8 27/8 [Signature] 23/7 [Signature] 23/7 NF 27/8</p>
27-8-19	<p>आवेदन की ओर से कोई उपरो नहीं। अग्रवाल आग्रवाल समोस पारेली उपरो। आवेदन व उसके आग्रवाल को समोस-समोस पर तीन बार पुनरु लगेवाई गई। परन्तु कोई उपरो नहीं। अतः प्रकरण आवेदन की अनुपस्थिति के कारण अदम पैदा के रवायेज किया जाता है। [Signature] अदम पैदा</p>	<p>[Signature] 27/8/19 for respondent Vipin Singhal</p>